IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

आदिवासी समाज की प्रगति और राष्ट्रीय धारा में योगदान

Dr. K. S. Netam[2] and Vinod Kumar Verma[2]
Professor and Head, Department of Geography[1]
Research Scholar, Department of Geography[1]
Sanjay Gandhi Smriti Government (Autonomous) PG College, Sidhi, MP, India

प्रस्तावना:

समाज के निर्बल वर्ग विशेष रुप से अनुसूचित जनजातियाँ सदियों से ही देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर जीवन–यापन के लिये मजबूर रही हैं। इनकी आर्थिक प्रगति के चरण विभिन्न रहे हैं। अतएव उनकी स्थिति के अनुसार कार्यक्रम तय करना अनिवार्य समझा गया और इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम की मान्यता दी गई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के कर्णधारों ने भारतीय समाज के संबंध में एक सुन्दर स्वप्न देखा। वह स्वप्न था एक ऐसे समाज का जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हो और सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य प्रकार के अन्यायों से मुक्त होकर वह अपने जीवन को सफल तथा सुन्दर बनाने के काम को कर सके। उनका विचार था कि यदि हमें अपने देश को एक सुन्दर समाज तथा एक सबल राष्ट्र का निर्माण करना है तो सबसे अधिक ध्यान समान के उन अंगो पर देना होगा जो अभी भी पिछड़े हुये हैं। जिस प्रकार एक जंजीर की ताकत उसकी सबसे कमजोर कड़ी की ताकत पर ही निर्भर करती है। उसी प्रकार किसी समाज तथा राष्ट्र की सफलता उसके सबसे पिछड़े हुये भागों पर निर्भर करती है। समाज तथा राष्ट्र के अन्दर किसी भाग का पिछड़ा होना सारे समाज तथा राष्ट्र के लिये खतरे का कारण हो सकता है। उत्थान और विकास केवल एक पहलू है। उससे भी महत्वपूर्ण पहलू है, वनाच्छादित और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले इन देशवासियों को वृहद समाज और इतिहास की मुख्य धारा में जोड़ना। यहाँ एक ओर जनजातियों का उत्थान और विकास योजना निर्माताओं और विकास प्रशासकों का कार्यक्षेत्र है वहीं दूसरे छोर पर बसे समाजों को वृहत् समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण वृहत् समाज का है। अनुसूचित जनजातियाँ अब भी सामाजिक अन्याय सह रही हैं, जिसके परिणाम स्वरुप की सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ हैं। इसी कारण ये अब भी सामाजिक विवशताओं की बेड़ियों से जकड़े हुये हैं औश्र आर्थिक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर है। अतः यह आवश्यक है कि सभी संबंधित व्यक्ति सबसे पहले यह अनुभव करे कि इस समुदाय की समस्या समाज के किसी वर्ग तक ही सामित नहीं है वरन् राष्ट्र की एक गंभीर समस्या है जिसका संबंध मानवता की प्रतिष्ठा और विकास से है। इसलिये इस समस्या को पर्याप्त गंभीरता और तीव्रता से हल करने की आवश्यकता है ताकि कम से कम समय में समाज के इस कमजोर वर्ग को देया के सामान्य स्तर पर लाया जा सके। इस संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले का कथन इस प्रकार है– ''सभी निष्पक्ष व्यक्ति यह स्वीकार

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

करेंगे कि यह घोर विडम्बना है कि मानव जाति के एक वर्ग के लोगों की जिसका शरीर हम जैसा ही है, जिसके न विचार करने वाले मस्तिष्क और अनुभव करने वाले हृदय है, दासता और भय से भाग्य ऐसा हेय जीवन बिताने के लिये विवश कर दिया जाय। जिन्हें मानसिक और मौलिक दृष्टि से गिरा हुआ माना जाय और उनके रास्ते में ऐसे स्थायी अवरोध पैदा किये जायें कि उनको तोड़कर आगे बढ़ना और अपना भाग्य सुधारना उनके लिये असंभव हो जाये। इससे हमारे न्याय बोध को गहरा आघात पहुचता है। मैं मानता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रुप से स्वयं को उनकी स्थिति में रखे तो वह बहुत की आसानी से समझ सकता है कि यह अन्याय कितना कष्टदायक है।''

जनजातियों के उत्थान के लिये पं. जवाहर लाल नेहरु द्वारा दिये गये पांच मूल सिद्धान्त ''पंचशील'' के नाम से अधिक प्रसिद्ध रहा है। 1959 में एल्विन रचित पुस्तक 'ए फिलास्फी फार एन.ई.एफ.ए.' (नेफा दर्शन) की भूमिका में श्री नेहरु ने जो टिप्पणी लिखी थी वह आज भी उपयोगी है। नेहरु के अनुसार– ''हम जनजातीय क्षेत्रों में मात्र अभिरुचि नहीं रहने के कारा उस क्षेत्र के तथ्यों को यूं ही व्यर्थ रहने के लिये छोड़ नहीं सकते। हमें उन क्षेत्रों को अति प्रशासन से दूर जाना चाहिये तथा विशेष रुप से जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों को अधिक नहीं भेजना चाहिये। हमें इन दो अतियों के बीच कार्य करना है। वहाँ विविध प्रकास के विसा होने चाहिये जैसे संचार, औषधि की सुविधा, शिक्षा, कृषि, परिवहन, प्रौद्योगिकी। फिर भी निम्नांकित पाँच मौलिक सिद्धांतों के वृहत् ढ़ांचे के आधार पर ही विकास के उन तरीकों को पालन करना चाहिये। ये पांच मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं–

1. जनजाति के लोगों का विकास उनकी अपनी प्रतिभा के अनुरुप होना चाहिये तथा हमें उन पर कुछ भी लादने की प्रवृत्ति से बचना चाहिये, हमें प्रत्येक दिशा में उनकी अपनी पारम्परिक कलाओं और उनकी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिये।
2. भूमि तथा वनों से संबंधित जनजातीय अधिकारों का हम सबके द्वारा सम्मान किया जाना चाहिये।
3. प्रशासन तथा विकास के कामों के लिये उन्हीं लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिये तथा उन्हीं में से एक टीम का निर्माण करना चाहिये बाहर से कुछ तकनीकी व्यक्तियों को विशेषतः प्रारंभ में निःसंन्देश आवश्यकता पड़ेगी परन्तु हमें जनजातीय क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों के प्रवेश पर अंकुश रखना चाहिये।
4. हमें इन क्षेत्रों का बहुत अधिक प्रशासन नहीं करना चाहिये हमें उनकी अपनी सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं की प्रतिद्वन्दी संस्थायें नहीं खड़ी करनी चाहिये बल्कि उन्हीं के माध्यम से कार्य करना चाहिये।
5. हमें परिणामों का आकलन आंकड़ों अथवा व्यय की गई धनराशि के आधार पर नहीं अपितु निर्मित हुये मानव चरित्र की गुणवत्ता के आधार पर करना चाहिये।

जनजातियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में गति लाने के लिये बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को प्रशासन तथा समाजसेवी संस्थाओं की ओर से लागू किया गया। स्वाधीनता से पूर्व ब्रिटिश

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

सरकार की यह नीति थी कि जनजातियों को पृथक रखा जाय। इस तरह अंग्रेजों ने ''अलगाव'' की नीति अपनाई और आदिवासियों को भारतीय जीवन की मुख्यधारा से दूर रखने का प्रयत्न किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही उन्हें मुख्यधारा में ले आने की मंशा से स्व–अंगीकरण की नीति का अनुसरण किया गया। सरकार ने जनजातीय विकास की ओर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की नीति बनाई। 26 जनवरी सन् 1950 से लागू भारत के गणतंत्रीय संविधान ने पिछड़े लोगों के प्रति अपनी निष्ठा और तत्परता दिखाते हुये उन्हें संरक्षण प्रदान किया।

आर्थिक प्रगति हेतु नियोजन को गति

नियोजित अर्थव्यवस्था देश में आर्थिक समृद्धि तो लाती है साथ ही साथ लोगों में एक भावात्मक जागरुकता भी उत्पन्न करती है। पं. नेहरु का यह विश्वास था कि भारत में नवनिर्माण के लिये संगठित प्रयास ही नहीं, अपितु उत्साह और जोश से भरपूर प्रयासों की भी आवश्यकता है। इसके लिये पं. नेहरु ने कड़े परिश्रम पर बल दिया और ''आराम हराम है'' का नारा दिया था। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में नियोजन का महत्व अब विवाद का विषय नही रहा। प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये अथवा अपनी आर्थिक सम्पन्नता को बनाये रखने के लिये भी नियोजन के ही मार्ग को अपनाता है। विकास की क्रमबद्ध प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि में आवश्यक साधनों की गतिशीलता प्रदान करने को संक्षेप में नियोजन की रचना प्रक्रिया माना जा सकता है।

बीसवीं शताब्दी में विश्व के प्रायः सभी देशों में नियोजन को प्रगति का साधन तथा सार्वजनिक राजस्व में एक ''आवश्यक अनुशासन'' के रुप में स्वीकार किया गया है। सरकार चाहे एकात्मक हो या संघात्मक नियोजन समान रुप से लोकप्रिय रहा है। 1927 में रुस की सफल क्रांति के बाद लेनिन ने प्रगति के लिये इसी रास्ते को चुना तथा चार वर्षीय योजना के ढॉचे को अपनाया। चीन ने माओ–त्से–तुंग के नेतृत्व में च्यांग–काई–शेक की सत्ता समाप्त करने के बाद सात वर्षीय योजना पद्धति को स्वीकार करके प्रगति के मार्ग पर बड़ी छलांग लगाने का प्रयत्न किया। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री स्व. श्री जवाहरलाल नेहरु ने रुस के उदाहरण से प्ररित होकर भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित किया।

स्वतंत्र भारत में आर्थिक नियोजन के सामने प्रारंभ से ही देश का अर्थव्यस्था के निर्माण का महत्वाकांक्षी दायित्व रहा है। इस दायित्व की पूर्ति के लिये जहां एक ओर देश की अर्थव्यवस्था को विकास की दिशा में इस प्रकार सुसंगठित करना आवश्यक था कि वह विश्व के अन्य अपेक्षाकृत विकसित राष्ट्रों के मध्य एक आदरयुक्त स्थान प्राप्त कर सके तो दूसरी ओर जो कि इससे कहीं अधिक महत्व की बात थी, भारतीय समाज के निर्धन व्यक्तियों को अधिक खुशहाल बनाए ताकि स्वतंत्र भारत के बारे में उनका उज्जवल स्वप्न खण्डित न हो।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

स्वतंत्रता के पश्चात ही भारत में योजनात्मक विकास की ओर ध्यान दिया गया। पंचवर्षीय योजनायें इसका उदाहरण हैं। निर्विवाद तथ्य है कि बिना योजना के एक भी कदम सही दिशा में आगे नहीं गढ़ सकता है और ना की सकुशल मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। क्रियान्वयन के लिये योजना आवश्यक है। जब देश आजाद हुआ तो यह एक कृषि प्रधान देश था। पिछड़े हुये और अर्धविकसित राष्ट्रों को आगे बढ़ाने के लिये योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ता है। नेहरु जी प्रजातंत्र के रक्षक थे और साथ ही साथ देश को प्रगति की ओर आगे बढ़ाने चाहते थे। देश के लिये पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने में स्व. जवाहरलाल नेहरु का प्रमुख हाथ था।

मध्यप्रदेश स्वत्रंत भारत का हृदय प्रदेश है। इस प्रदेश में भी योजनाबद्ध तरीके सक आर्थिक विकास की शैली को अपनाया गया है। इन वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार ने भी समुचित आरक्षण की व्यवस्था कर उन्हें सभी स्वायत्त संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व और अवसर देने के कारगर उपाय किये हैं। प्रदेश की स्थानीय स्वशासी संस्थायें सरकार की मुखापेक्षी न रहे, यह सुनिश्चित रिने के लिये मध्यप्रदेश में वित्त आयोग का गठन किया गया है।

पंचवर्षीय योजना एवं जनजातीय विकास के विभिन्न सोपानः

भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन काल में ही यह निश्चित हो चुका था कि स्वतंत्र भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाती की स्थापना की जायेगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व. पण्डित जवाहरलाल नेहरु के लिये लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं था अपितु उनका मत था कि आर्थिक लोकतंत्र के आभाव में राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ पण्डित नेहरु के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। जनतांत्रिक क्रांति की पहली पंजिल खत्म हुई परन्तु जैसा कि पण्डित नेहरु ने स्वयं स्वतंत्रता की अर्द्धरात्रि पर दिये गये अपने भाषण में स्वीकार किया था कि ''दूसरी मंजिल अभी शेष है और वह भी आर्थिक सामाजिक पुननिर्माण की मंजिल''। उन्होने कहा था– काफी समय पहले हमने एक प्रतिज्ञा की थी और अब समय आ गया है जब हमउ से पूरा करेंगे। हमें स्वतंत्र भारत का वह आदर्श भवन तैयार करना है जिसमें उसके सभी बच्चे सुखपूर्वक रह सके।

यहां सिर्फ उन्हीं योजनाओं का वर्णन किया जा रहा है जो मुख्य रुप से आदिवासियों के कल्याण हेतु बनाये गये हैं। साथ की साथ उन योजनाओं का भी वर्णन किया गया है जो सामान्य श्रेणियों के लिये बनाये गये हैं परन्तु उन योजनाओं का लाभ आदिवासियों को भी मिल रहा है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में शुरु किये गये कार्यक्रम इस प्रकार हैं–

पंडित नेहरु जी ने योजना संबंधी विचारों को कार्यरुप में परिणित करने के लिये सन् 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी। वे स्वयं इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग क मुख्य कार्य नियोजन के लिये आवश्यक

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

अनुसंधान करना था। इसका दूसरा मुख्य कार्य अखिल भारतीय योजना का प्रारुप तैयार करना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सन् 1954 में एक राष्ट्रीय विकास परिषद तथा एक स्थाई समिति का निर्माण किया गया है।

भारत की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारुप समिति पंडित नेहरु की देख–रेख में ही तैयार किये गये। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना अन्य योजनाओं की अपेक्षा एक उदार योजना थी। योजना का आरंभ 01 अप्रैल 1951 में हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना के तैयार करने के चरण में योजना का केन्द्रीय उद्देश्य था विकास की ऐसी प्रक्रिया आरंभ करना जो जीवन स्तरों को ऊँचा उठाने और लोगों को अधिक समृद्ध तथा विविधतायुक्त जीवन के नये अवसर प्रदान करे। इस तरह पहली योजना के दो उद्देश्य थे–

1. दूसरे विश्वयुद्ध तथा देश के विभाजना के कारण अर्थव्यस्था में आये असंतुलन को दूर करना।
2. चहुमुखी संतुलित विकास के लिये एक ऐसी प्रक्रिया शुरु करना था जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि और कालांतर में जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित हो।

देश में सन् 1951 में बड़े पैमाने पर अनाज के आयात और अर्थव्यवस्था में मौजूदा मुद्रास्फीतिकारी दबावों को देखते हुये योजना में सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं सहित कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस तरह प्रथम पंचवर्षीय योजना थी क्योंकि इसमें कृषि पर सबसे अधिक बल प्रदान किया गया था। इस योजना में कृषि को इसलिये प्राथमिकता दी गई थी ताकि पहले अनाज उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसके लिये सिंचाई की व्यवस्था की जाये जिससे कृषि अनिश्चित वर्षा नर निर्भर न रहे।

सन् 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में बोलते हुये नेहरु जी ने कहा था कि– ''हमारे आदर्श ऊँचे और लक्ष्य महान है।'' उनकी तुलना में पंचवर्षीय योजना साधारण शुरुआत लगती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिये कि यह अपने ढंग का पहला प्रयास है और आज की वास्तविकताओं पर आधारित है न कि हमारी इच्छाओं पर, इसलिये इसे हमारे साधनों से संबंधित रखना होगा नहीं तो यह अवास्तविक रहेगी। यह योजना तो भविष्य में अधिक बढ़ी और अधिक अच्छी योजना की नींव ड़ाली गई है। हमें अच्छी तरह नींव ड़ालना है शेष चीजें अनिवार्यतः आयेगी। खेती भारत की सबसे बड़ी सक्रियता रहेगी ही इसलिये इस पर बड़ा जोर देना चाहिये क्योंकि खेती की समृद्धि से ही भारत औद्योगिक प्रगति कर सकता है। लेकिन कृषि को राष्ट्र की विस्तृत अर्थव्यवस्था के अनुकूल होना चाहिये।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के दो तिहाई व्यय का प्रावधान कृषि, सामुदायिक विकास, सिंचाई तथा शक्ति के साधनों के विकास पर किया जाना था। केवल 10 प्रतिशत व्यय औद्योगिक विकास पर रखा गया था जिसमें कुटीर और लघु उद्योग भी शामिल थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये गये वे इस प्रकार हैं– संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अनुदान दी गयी है। जनजातीय उप–योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जनजातीय विकास हेतु

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

किये गये प्रयासों को पूरा करने के लिये विशेष केन्द्रीय सहायजा प्रदान की गई। इस सहायता का मूल प्रयोजन पारिवारिक आय सृजन की निम्न योजनाओं जैसे– कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, पशुपालन, वन, शिक्षा, सहकारिता, मत्स्य पालन, गांव लघु उद्योगों तथा न्यूनतम आवश्यकता संबंधी कार्यक्रमों से है। जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवतापरक शिक्षा प्रदान करने के लिये आवासीय विद्यालय को देश के कई हिस्सों में स्थापित करके आदिवासी परिवार के बच्चों को ऊपर उठाने में सरकार की अच्छी नीति है। देश में च्ण्ज्ण्ळण् 75 आदिम जनजातीय समूह पाई गई है। इन आदिम जनजातियों की सुरक्षा के लिये च्ण्ज्ण्ळण् के सम्पूर्ण विकास एक केन्द्रीय योजना 1998–99 में शुरु की गई थी। यह योजना बहुत लचीली है और इसमें आवास, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि संवितरण विकास, कृषि विकास, पशु विकास, सामाजिक सुरक्षा, बीमा आदि शामिल है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) –

नेहरु जी गांवों की समस्या को सुलझाने के लिये बड़े उत्सुक थे। अतः गांव के सर्वांगींण विकास को ध्यान में रखकर ही उनकी देखरेख में योजना आयोग ने सामुदायिक योजना का प्रारुप तैयार किया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ आस्था की एक आभा जुड़ी हुई थी। पंडित नेहरु ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसा बिजलीघर है जो पांच साल को कामयाबी से पूरा करने के लिये प्रेरक शक्ति देता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य औसत आदमी के रहन–सहन के स्तर को ऊँचा उठाना है। हिन्दुस्तान के हालात में यह एकदम क्रांतिकारी लक्ष्य है। यह बड़े महत्व का सवाल है कि हम यह क्रांति शान्तिमय ढंग से कर सकते हैं।

यह कार्यक्रम सर्वप्रथम 02 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के अवसर पर 55 चुने हुये क्षेत्रों में लागू किया गया था। भारत में इस कार्य के लिये प्रमुख सलाहकार के रुप में पंडित नेहरु ने फोर्ड फाउंडेशन को प्रतिनिधि डॉ. डगलस एसिन्जर को नियुक्त किया था। इसका लक्षय भारत के गांवों को स्वाबलम्बी ग्राम बनाना था। इसका दूसरा बड़ा लक्ष्य था कृषि संबंधी उत्पादन एवं आय और रोजगार में पर्याप्त वृद्धि करना। पहली योजना के अंत तक इसका विस्तार लगभग एक चौथाई ग्रामीण जनता तक पहुंचाना था।

सामुदायिक विकास योजना का आधारभूत एकांश लगभग 100 ग्रामों और 60000 से 70000 तक जनसंख्या को विकास प्रखण्ड के अंतर्गत रखा गया था। प्रत्येक विकास प्रखण्ड को कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह निर्माण आदि के विशेषज्ञों का एक दल दिया गया था जो विकास प्रखण्ड अधिकारी के निर्देशन में कार्य करता था। प्रत्येक ग्राम में सामुदायिक विकास योजना की नीतियों को क्रियान्वित कराने का कार्य ग्राम सेवक (ग्रामीण स्तर कार्यकर्ता) के हाथ में होता था और उसका मुख्यालय इन्हीं में से एक गांव में होता था।

लम्बे समय से उपेक्षित व नकारी गयी जनजाति जनसंख्या के लिये इन छोटे कार्यक्रमों का प्रारंभ अनुकूल ही था। प्रथम योजना 2356 करोड रुपया का प्रावधान था जिसमें से 39 करोड़ रुपया पिछड़े वर्गों,

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पूर्व अपराधी जनजातियों तथा पिछडे वर्गों की कल्याणकारी तथा विकासशील योजनाओं के लिये रखे गये। इस योजना के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकारों ने भी प्रथम योजना के समय 25.98 करोड रुपये का व्यय पिछड़े वर्गों पर किया जिसमें से 17.36 करोड़ रुपया केवल अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में व्यय किये गये। उस समय स्वास्थ्य, संचार एवं आवासीय योजनाओं पर अधिक बल दिया गया था।

प्रारंभ से ही इस योजना के दृष्टिकोण में लचीलापन रहा है एवं इस बात पर जोर दिया गया था कि सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया जाय कि वे देश की सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुकूल सिद्ध हो। पूरे देश में सामुदायिक विकास की धारणा को बढ़ावा देने के अतिरिक्त जिम्मेदारियां सामुदायिक विकास को सौंपी गई। कृषि क्षेत्र को दी गयी उच्च प्राथमिकता के अतिरिक्त इनमें भूदान और ग्रामदान, गांवों के लिये विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम आदि शामिल थे।

विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय प्रखण्ड (चमबपंस डनसजपचनतचवेम ज्तपइंस ठसवबा)–

जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये एक सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयास के रुप में सन् 1955 में विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय प्रखण्ड की शुरुआत की गई जनजातीय बहुसंख्यक क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिये सन् 1956 में पहली बार विभिन्न प्रदेशों में से 43 प्रखण्ड खोले गये। इन प्रखण्डों को गृह मंत्रालय तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा एकजुट होकर प्रायोजित किया गया। प्रदेश की सरकारों को इस कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये प्रखण्ड सामान्य प्रखण्ड़ों से निम्नलिखित बातों में भिन्न थे–

- लागू किये जाने वाले विकास कार्यक्रम अधिक विस्तृत थे।
- इसके अंतर्गत आनेवाली जनसंख्या और क्षेत्रफल सामान्य प्रखण्डों से बहुत कम था।
- लोगों का योगदान न्यूनतम स्तर तक रखा गया और इसे एक निम्न दर पर अप्रशिक्षित श्रम की आपूर्ति तक ही सीमित रखा गया।
- ऋण निधि को आर्थिक अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया।
- इन क्षेत्रों के लिये नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण दी जाने की बात थी।
- इन विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय प्रखण्डों के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्र प्रायोजित तथा प्रदेश प्रायोजित योजनायें रखी गई।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

निष्कर्ष एवं मूल्यांकनः

इस अध्ययन के दौरान यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत में जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास आज के वर्तमान समय में भी पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं हो पाया है। इन सभी का कारण यह हो सकता है सरकारी प्रयास के बहुत योजनायें नाकाम रही। सन् 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब 2022 तक 14वीं पंचवर्षीय गतिशील है। इन पांचवर्षीय कार्यक्रम में सरकार बहुत सी योजना चलाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कृषि, सहकारिता, लोन किसानों के लिये, तकनीकि का पर्याप्त विस्तार, परिवहन, संचार, सेवाएं, शोधकार्य, ग्रामीण एवं नगरीय विकास कार्यक्रम आदि से संबंधित योजनायें। आदिवासी समुदाय के व्यक्ति लोग मुख्यतः दूरस्थ, दुर्गम, पहाड़ी एवं बिखरे हुये क्षेत्रों, जंगलों में निवास करते हैं तब उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। उनमें अंधविश्वास, टोटेम, यौन शोषण का बीमारी होता है, यह जनजाति इसी वजह से पिछड़ा रहता है। पैतृक व्यवस्था को ही अपनाया जाता है। पुराने पद्धति से कृषि कार्य करते हैं।

डी. एन. मजूमदार के अनुसार– ''जनजाति परिवारों का एक संकलन है जिसका अपना एक सामान्य नाम होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भू–भाग पर रहते हैं। सामान्य भाषा बोलते हैं विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं।''

भारत के अनेक राज्यों में आदिम जनजाति निवास करती है जिन्हें आदिवासी जनजातियाँ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें वनवासी, वन्यजाति, आदिम जाति, जनजाति आदि नामों से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के खण्ड के अनुसार इन्हें अनुसूचित जनजाति कहते हैं। भारतीय संविधान में जनजातियां की संख्या 212 बताई गई है। मध्यप्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। इनमें बैगा, गोंड, झाारिया, भूमिया, कमार, मवासी, भील, कोल, पनका, खैरवार, अगरिया, सहरिया, भारिया जनजातियाँ मुख्य हैं। ये लगभग म. प्र. के सभी जिलों में निवास करती हैं।

1. ''नवजीवन योजना'' के तहत आवास एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग से इस योजना को क्रियान्वित किया गया है, इसका उद्देश्य है कि गरीब, असहाय, बेरोजगारी से जूझ रहे जनजाति, विमुक्त जाति के लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। पर्याप्त सर्वसुविधायुक्त इस आवास में रहकर नौकरी, व्यापार किया जा सकता है।
2. ''वसुन्धरा'' कृषि भूमि क्रय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन कृषकों को 10 वर्षों का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।
3. ''जलजीवन योजना'' के अन्तर्गत अनुसूचित एवं जनजाति के कृषकों को सामूहिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
4. ''स्वाबलम्बन'' अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिये निगम द्वारा 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ दुकान ''खरीदी संकुल'' से ऋण की सुविधा है। जिससे आदिवासी समुदाय स्वयं का छोटा बिजनेस कर सके।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

5. ''मनीषा योजना'' यह योजना महिला कल्याण की सर्वांगीण विकास करती है। इसमें ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत को बढ़ाना होता है। आठवी पंचवर्षीय योजना में इसे 6 से 11 वर्ष की आयु वाली शत–प्रतिशत बालिकाओं को प्रवेश दिलाकर निःशुल्क शिक्षा दिलाना। रोजगार के पर्याप्त अवसर जनजातीय महिलाओं को दिलाना।
6. आदिवासी संस्कृति को विकास करने के लिये सरकारी मुख्यालयों में प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है जिसमें आदिवासी लोक नृत्य में प्रदर्शन देने वालों को पुरुष्कृत किया जाता है। शैला, कर्मा, झूमर, बेवर, नृत्यों को अधिक प्रोत्साहन देना।
7. भ्नउंद त्पहीज ।बज 2006 के अधिनियम के तहत जल, जंगल, जमीन में आदिवासी समाज को विचरण, आवास सुरक्षित करने का पर्याप्त अवसर।
8. धारा 165 के तहत 02 अक्टूबर 1959 के बाद इस प्रकार गैर आदिवासी जमीन को गिरवी रखना कानूनन अपराध है।
9. पंचशील सिद्धान्त के अनुसार– भूमि तथा वनों से संबंधित जनजातीय अधिकारों ा हम सबके द्वारा सम्मान देना चाहिये।
10. देश में सभी क्षेत्रों को संविकास करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, प्रशिक्षण के पर्याप्त सुविधाएं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. योजना, पाक्षिक पत्रिका 1996 : 2000 सूचना प्रकाशन विभाग, भारत सरकार दिल्ली
2. भारत 1995, भारत 1996 : सूचना एवं प्रकाशन विभाग नई दिल्ली भारत सरकार
3. पन्निकार के. एम. 1956 : हिन्दी समाज निर्णय के द्वारा पर, एशिया पब्लिसिंग, हाऊस बम्बई
4. पाण्डेय, नर्मदा प्रसाद 1962 : रीवा राज्य का भूगोल, म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल
5. प्रसाद, नर्मदेश्वर 1965 : जाति व्यवस्था, राजकमल दिल्ली
6. श्री हट्टन, जे. एच.1933 : भारत में जाति प्रथा, अनुवादक मंगलनाथ सिंह, दिल्ली
7. श्री फॉक्स, रॉबिन 1973 : नातेदारी एवं विवाह, अनुवादकः डॉ. आर. के. बाजपेयी म. प्र. हिन्दी
8. राय, सिर्द्धश्वरी नारायण : पौराणिक धर्म एवं समाज, पंचनद पब्लिकेशन्स इलाहाबाद
9. उप्रेता, हरिशचन्द्र 1982 : भारतीय जनजातियाँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
10. डॉ. शर्मा, ब्रम्हदेव 1986 : आदिवासी विकास–एक सैद्धांतिक, विवेचन म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल
11. डॉ. बघेल, डी. एस. 1986 : सामाजिक अनुसंधान, पुष्पराज प्रकाश रीवा